रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 7, 2008/माघ 18, 1929
No. 10] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2008/MAGHA 18, 1929

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2008

सं. एल 7/105 (121)/2007-केविविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागू होना**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुँच) विनियम, 2008 है ।

(2) ये विनियम पारेषण लाइनों या अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली पर ऐसी लाइनों के साथ सहबद्ध सुविधाओं के उपयोग के लिए 1-4-2008 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाली ऊर्जा अंतरण अनुसूचियों के लिए निर्बाध पहुँच प्रदान करने हेतु किए गए आवेदनों को लागू होंगे ।

2. **परिभाषाएं**

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) "द्विपक्षीय संव्यवहार" से मास के दौरान किसी समय अवधि के लिए ऊर्जा की नियत या परिवर्ती मात्रा के लिए व्यादेश के विनिर्दिष्ट बिंदु से निकासी के विनिर्दिष्ट बिंदु तक विनिर्दिष्ट क्रेता और विनिर्दिष्ट विक्रेता के बीच प्रत्यक्षत: या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से ऊर्जा के विनिमय के लिए संव्यवहार अभिप्रेत हैं;

बिंदु तक विनिर्दिष्ट क्रेता और विनिर्दिष्ट विक्रेता के बीच प्रत्यक्षतः या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से ऊर्जा के विनिमय के लिए संव्यवहार अभिप्रेत हैं ;

(ग) 'सामूहिक संव्यवहार' से क्रेता तथा विक्रेता द्वारा अज्ञात, समकालिक प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से ऊर्जा एक्सचेंज में प्राप्त संव्यवहारों का सेट अभिप्रेत है;

(घ) 'आयोग' से अधिनियम की धारा 76 में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ड.) 'दिन' के 00.00 घंटे से आरंभ होने वाला तथा 24.00 घंटे पर समाप्त होने वाला दिन अभिप्रेत है ;

(च) 'विस्तृत प्रक्रिया' से इन विनियमों के अधीन केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा जारी प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(छ) 'ग्रिड कोड' से अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है ;

(ज) 'अंतःराज्यिक इकाई' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी मीटरिंग तथा ऊर्जा का लेखांकन राज्य भार प्रेषण केंद्र या राज्य उपयोगिता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है;

(झ) 'दीर्घ-कालिक ग्राहक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली पर धारणाधिकार के आनुपातिक अपने पारेषण प्रभारों का संदाय करने के फलस्वरूप दीर्घ-कालिक धारिणाधिकार है;

(ञ) 'मास' से बिट्रिश कलेंडर के अनुसार कलेंडर मास अभिप्रेत है ;

(ट) 'नोडल अभिकरण ' से इन विनियमों के विनियम 5 में परिभाषित नोडल अभिकरण अभिप्रेत है ;

(ठ) 'निर्बाध पहुंच ग्राहक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विद्युत के विक्रय या क्रय के लिए प्रदाय के अपने क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी व्यक्ति से या प्राधिकृत राज्य सरकार की इकाई से विद्युत का प्रदाय लेने के लिए इन विनियमों के अधीन निर्बाध पहुंच प्राप्त कर रहा है या करने के लिए आशायित है और जिसमें आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य विनियमों में यथा पारिभाषित अल्प-कालिक पारेषण ग्राहक या कोई उत्पादन कंपनी (जिसमें कैप्टिव उत्पादन संयंत्र भी है) या अनुज्ञप्तिधारी या राज्य आयोग द्वारा अनुज्ञात उपभोक्ता भी सम्मिलित है ;

(ड) 'ऊर्जा एक्सचेंज ' से आयोग के पूर्व अनुमोदन से स्थापित पावर एक्सचेंज अभिप्रेत है;

(ढ) 'प्रादेशिक इकाई' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी मीटरिंग तथा ऊर्जा का लेखांकन प्रादेशिक स्तर पर किया जाता है;

(ण) 'राज्य आयोग ' से अधिनियम की धारा 82 के अधीन गठित राज्य विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है जिसमें उसकी धारा 83 के अधीन गठित संयुक्त आयोग भी अभिप्रेत है;

(त) 'राज्य नेटवर्क ' से पारेषण प्रणाली के संनिर्माण, प्रचालन तथा रखरखाव के लिए राज्य पारेषण उपयोगिता, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो;

(थ) 'राज्य उपयोगिता' से राज्य पारेषण उपयोगिता या कोई राज्य विद्युत बोर्ड या राज्य का विद्युत विभाग या राज्य की ओर से विद्युत के विक्रय या क्रय के लिए प्राधिकृत राज्य सरकार का संगठन अभिप्रेत है;

(द) 'समय ब्लॉक' से अनुसूची तथा प्रेषण के प्रयोजनों के लिए ग्रिड कोड में विनिर्दिष्ट 15 मिनट की समय अवधि अभिप्रेत है; और

(ध) 'कार्य दिवस' से ऐसा दिन अभिप्रेत है जिस दिन को बैंक कारबार के लिए खुले होते हैं ;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा पदों, जो यहां परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम या ग्रिड कोड में परिभाषित है, का वहीं अर्थ होगा, जो यथास्थिति, अधिनियम या ग्रिड कोड में है ।

विस्तार

3. आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य विनियमों के अधीन रहते हुए, दीर्घ-कालिक ग्राहक को पदाभिहित उपयोग के लिए अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए पहले पूर्णिकता दी जाएगी । ये विनियम अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली पर तत्पश्चात् उपलब्ध अधिशेष क्षमता के उपयोग के लिए निम्नलिखित के आधार पर लागू होंगे —

(क) अंतनिर्हित डिजाइन मार्जिन;

(ख) विद्युत प्रवाह में फेरफार के कारण उपलब्ध मार्जिन; और

(ग) भावी भार वृद्धि या उत्पादन वृद्धि की व्यवस्था करने के लिए सृजित इन-बिल्ट अतिरिक्त पारेषण क्षमता के कारण उपलब्ध मार्जिन ।

विस्तृत प्रक्रिया

4. इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता आयोग के अनुमोदन से, ऐसी विस्तृत प्रक्रिया जारी करेगी जिसमें ऐसे सुसंगत तथा अवशिष्ट मामले सम्मिलित होंगे जो इन विनियमों में नहीं हैं ।

नोडल अभिकरण

5. द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए नोडल अभिकरण क्षेत्र का ऐसा प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र होगा जहां विद्युत प्राप्त करने का स्थान अवस्थित है और सामूहिक संव्यवहारों की दशा में, नोडल अभिकरण राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र होगा ।

निर्बाध पहुंच आवेदन का प्रस्तुत किया जाना

6. (1) पारेषण लाइनों या अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली पर ऐसी लाइनों के लिए सहबद्ध सुविधाओं के उपयोग हेतु निर्बाध पहुंच को प्राप्त करने का आशय रखने वाला निर्बाध पहुंच ग्राहक या ऊर्जा एक्सचेंज (विक्रेता तथा क्रेता की ओर से) इन विनियमों के अनुसार नोडल अभिकरण को आवेदन करेगा ।

(2) द्विपक्षीय संव्यवहार के लिए आवेदन में प्रदायकर्ता और विक्रेता का नाम तथा अवस्थान, अनुसूचित तथा इंटरफेस की जाने वाली संविदागत ऊर्जा (मेगावाट में) जिस पर उस व्यादेश के बिंदु का उल्लेख हों, प्राप्त करने का स्थान आरंभिक समय ब्लॉक तथा तारीख, समाप्त होने वाला समय ब्लॉक जैसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे तथा ऐसी अन्य जानकारी अंतर्विष्ट होगी जो विस्तृत प्रक्रिया के लिए अपेक्षित हो ।

(3) सामूहिक संव्यवहार के लिए आवेदन में विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे ।

आवेदन फीस

7. प्रत्येक द्विपक्षीय संव्यवहार या सामूहिक संव्यवहार के लिए किए गए आवेदन के साथ केवल पांच हज़ार रूपए (5000 रूपए) की अप्रतिदेय फीस संलग्न होगी :

परंतु यह कि फीस को आवेदन के दिन को या आवेदन के दिन ठीक आगामी दिन को द्विपक्षीय संव्यवहार के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के तीन कार्य दिवस के भीतर जमा किया जाएगा ।

द्विपक्षीय या सामूहिक संव्यवहार के लिए राज्य भार प्रेषण केंद्र की सहमति

8. (1) जब कभी विक्रेता या क्रेता के रूप में प्रस्तावित द्विपक्षीय संव्यवहार राज्य उपयोगिता हो या अंतःराज्यिक इकाई हो, तब राज्य भार प्रेषण केंद्र की सहमति अग्रिम में प्राप्त की जाएगी तथा उसे नोडल अभिकरण को आवेदन के साथ् प्रस्तुत किया जाएगा । राज्य भार प्रेषण केंद्र की सहमति ऐसे प्ररूप में होगी जो विस्तृत प्रक्रिया में उपबंधित हो ।

(2) जब राज्य उपयोगिता या अंतः-राज्यिक उपयोगिता ऊर्जा एक्सचेंज के माध्यम से व्यापार में भाग लेने का प्रस्ताव/ करते हैं तब राज्य भार प्रेषण केंद्र से ऐसे प्ररूप में "अनापत्ति" या पूर्व स्थायी निकासी विक्रय अभिप्राप्त की जाएगी जो विस्तृत प्रक्रिया में विहित किया जाए तथा जो उस मेगावाट को विनिर्दिष्ट करने वाला होगा जिस पर इकाई ऊर्जा एक्सचेंज में क्रय या विक्रय बोली को प्रस्तुत कर सके ।

(3) यदि ऊर्जा मीटरिंग के लिए अवसंरचना अपेक्षित हो तथा समय ब्लॉक-वार लेखांकन पहले ही विद्यमान हो तथा राज्य नेटवर्क में अपेक्षित पारेषण क्षमता उपलब्ध

है, तो राज्य भार प्रेषण केंद्र आवेदन की प्राप्ति के तीन (3) कार्यदिवसों के भीतर यथास्थिति, अपनी सहमति देगा या "अनापत्ति" या स्वायी निकासी प्रदान करेगा ।

(4) यदि राज्य भार प्रेषण केंद्र यथास्थिति, अपनी सहमति नहीं देने या "अनापत्ति" या स्थायी निकासी नहीं देने का विनिश्चय करता है तो 3 दिन की उपरोक्त अनुबंध अवधि के भीतर इंकार करने के लिए कारण देते हुए लिखित में आवेदक को संसूचित करेगा ।

(5) जब तक संबंधित राज्य आयोग द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, राज्य भार प्रेषण केंद्र सहमति या "अनापत्ति" या पूर्व स्थायी निकासी के लिए आवेदन पर कार्यवाही करने हेतु पांच हजार रूपए (5000/-रूपए) की फीस भारित कर सकेगा ।

द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए अग्रिम अनुसूचीकरण की प्रक्रिया

9. (1) द्विपक्षीय संव्यवहार के लिए अग्रिम अनुसूचीकरण के लिए आवेदन को उस चौथे मास तक नोडल अभिकरण को प्रस्तुत किया जा सकेगा जिस मास में आवेदन पहले मास के लिए किया जा रहा होः

परंतु यह कि प्रत्येक मास तथा प्रत्येक संव्यवहार के लिए पृथक् आवेदन किया जाएगा ।

(2) (क) चौथे मास के दौरान अंतर-राज्यिक अनुसूचीकरण के लिए आवेदन पहले मास के अंतिम दिन तक किया जाएगा;

(ख) प्राप्त सभी आवेदन पर एक साथ विचार किया जाएगा;

(ग) नोडल अभिकरण दूसरे मास के पांचवे दिन तक आवेदन पर अपनी स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सूचित करेगा ।

(3) (क) तीसरे मास के दौरान अंतर-राज्यिक अनुसूचीकरण के लिए आवेदन को पहले मास के समाप्त होने के पांच दिन पूर्व किया जाएगा;

(ख) प्राप्त सभी आवेदनों पर एक साथ विचार किया जाएगा; और

(ग) नोडल अभिकरण पहले मास की समाप्ति तक आवेदन पर अपनी स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सूचना देगाः

परंतु यह कि आवेदन को स्वीकार करते समय, उसके पूर्व किसी यक्ति को प्रदान की गई निर्बाध पहुंच को वापस नहीं लिया जाएगा ।

(4) (क) दूसरे मास में अंतर-राज्यिक अनुसूचीकरण के लिए आवेदन पहले मास की समाप्ति कै 10 (दस) दिन पूर्व नोडल अभिकरण को किया जाएगा;

(ख) सभी आवेदनों पर एक साथ विचार किया जाएगा ।

(ग) नोडल अभिकरण पहले मास की समाप्ति के पांच दिन पूर्व आवेदक को अपनी स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सूचित करेगाः

परंतु यह कि आवेदन स्वीकार करते समय, उसके पूर्व किसी व्यक्ति को प्रदान की गई निर्बाध पहुंच को वापस नहीं लिया जाएगा ।

(5) जब कभी नोडल अभिकरण आवेदन रद्द कर देता है तो वह आवेदक को लिखित में उसके कारण बताएगा ।

संकुचन प्रबंधन

10. जहां नोडल अभिकरण की राय में, अग्रिम अनुसूचीकरण के किसी विशिष्ट प्रक्रम पर सभी आवेदनों को मंजूर करने से प्रयुक्त किए जाने वाले एक से अधिक पारेषण कारीडोर में संकुचन होने की संभावना है तो वह विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार उस प्रक्रम पर आवेदकों के बीच उपलब्ध अधिशेष पारेषण क्षमता के लिए निर्बाध पहुंच प्रदान करने हेतु इलैक्ट्रानिक बोली लगाएगाः

परंतु यह कि यदि कोई व्यक्ति बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है तो उसका आवेदन वापस लिया गया समझा जाएगा ।

पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर द्विपक्षीय संव्यवहारों की अनुसूचीकरण के लिए प्रक्रिया

11. (1) दूसरे मास के लिए निर्बाध पहुंच प्रदान करने हेतु उन आवेदनों पर, जो विनियम 9 के खंड (4) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् प्राप्त किए जाते हैं तथा पहले मास के दौरान निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए आवेदनों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विचार किया जाएगा तथा ऐसे संव्यवहार अपेक्षित पारेषण क्षमता की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, अनुसूचित किए जाएंगेः

परंतु यह कि ऐसे आवेदन द्विपक्षीय संव्यवहार की तारीख के कम से कम चार दिन अग्रिम में नोडल अभिकरण में पहुंच गए होंः

परंतु यह और कि प्रत्येक संव्यवहार के लिए पृथक् आवेदन किया जाएगा ।

(2) इन सभी आवेदनों पर उनकी प्राप्ति के तीन दिन के भीतर कार्यवाही की जाएगी तथा उन पर विनिश्चय किया जाएगा ।

आगामी दिन के संव्यवहारों की अनुसूचीकरण के लिए प्रक्रिया

12. अनुसूचीकरण की तारीख के पूर्व तीन दिन के भीतर तथा अनुसूचीकरण के ठीक पूर्ववर्ती दिन के 1500 घंटे तक द्विपक्षीय संव्यवहारो के लिए प्राप्त सभी आवदेनों को एक साथ मिलाया जाएगा तथा उन्हें एक समान समझा जाएगा और 1000 घंटे तक प्राप्त सामूहिक संव्यवहारों के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करने के पश्चात् उन पर कार्यवाही की जाएगी ।

सिद्धांतः

मास के 25वें दिन संव्यवहार की अनुसूचीकरण के लिए आवेदन पर केवल पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर कार्यवाही की जाएगी तथा यदि ऐसा आवेदन उस मास के 21वें दिन तक प्राप्त हो जाता है तो वह 25वें दिन का अनुसूचीकरण के लिए 24वें दिन को 1500 घंटे तक प्राप्त सामूहिक संव्यवहारों के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करने के पश्चात् ही माना जाएगा ।

आकस्मिकता में संव्यवहारों के अनुसूचीकरण के लिए प्रक्रिया

13. आकस्मिकता की दशा में, क्रेता उपयोगिता अल्पकालिक आकस्मिकता अपेक्षा को पूरा करने के लिए पूर्ववर्ती दिन के 1500 घंटे के कट- आफ- समय के पश्चात् भी ऊर्जा के स्रोत का पता लगाएगी तथा निर्बाध पहुंच और अनुसूचीकरण के लिए नोडल अभिकरण को आवेदन करेगी तथा उस दशा में, नोडल अभिकरण विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार यथाशीघ्र तथा यथा साध्य सीमा तक ऐसे अनुरोध को पूरा करने का प्रयास करेगा ।

अनुसूचीकरण का पुनरीक्षण

14. (1) अग्रिम में नोडल अभिकरण द्वारा स्वीकृत तथा पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर निर्बाध पहुंच अनुसूचियों को न्यूनतम 5 दिन की सूचना देकर आवेदक द्वारा रद्द या पुनरीक्षित किया जा सकेगा जिसमें वह दिन नहीं है जिसको सूचना की तामील की जाती है तथा जिस दिन को पुनरीक्षित अनुसूचियों को लागू किया जाना है ।

(2) आवेदक, मूल रूप से अनुमोदित अनुसूची के अनुसार पारेषण प्रभारों का संदाय करने के लिए निरंतर दायी होगा यदि पुनरीक्षण या रद्दकरण की अवधि पांच दिन तक की हो ।

(3) यदि पुनरीक्षण या रद्दकरण की अवधि पांच दिन से अधिक है, पांच दिन के बाद की अवधि के लिए पारेषण प्रभार मूल अनुसूची के अनुसार पहले पांच दिन की अवधि के लिए संदेय होंगे ।

(4) रद्दकरण की दशा में, प्रचालन प्रभार पांच दिन के लिए या दिन में रद्दकरण की अवधि के लिए पांच दिन, जो भी कम हो, संदेय होंगे ।

पारेषण निरोध की दशा में संक्षेपण

15. (1) जब पारेषण निरोधों के कारण या ग्रिड सुरक्षा को बनाए रखने के लिए पारेषण कारीडोर पर ऊर्जा के प्रवाह में कटौती करना आवश्यक हो, तब पहले ही अनुसूचित संव्यवहारों में प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा तय की रीति से संक्षेपण किया जा सकेगा यदि उसकी रूप में ऐसे संक्षेपण करने से पारेषण निरोध कम होने की संभावना हो या ग्रिड सुरक्षा में सुधार होने की संभावना हो ।

(2) अंतर-राज्यिक द्विपक्षीय संव्यवहारों की दशा में, अनुमोदित अनुसूची को प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा पुनरीक्षित या रद्द किया जा सकेगा यदि केंद्रीय सरकार केंद्रीय उत्पादन से किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ऊर्जा का आबंटन करती है और ऐसा आबंटन प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र की राय में अंतर-प्रादेशिक लिंक में निरोध के कारण अन्यथा लागू नहीं किया जा सकता है । ऐसे पुनरीक्षण या रद्दकरण की सूचना यथाशीघ्र प्रभावित निर्बाध पहुंच ग्राहक को दी जाएगी ।

(3) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा अनुमोदित अनुसूचियों की कटौती की दशा में, पारेषण प्रभार घटाई गई अनुसूची के अनुसार आनुपातिक आधार पर संदेय होंगे:

परंतु प्रचालन प्रभार संक्षेपण की दशा में पुनरीक्षित नहीं किए जाएंगे ।

पारेषण प्रभार

16. (1) अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए द्विपक्षीय संव्यवहार की दशा में, अंतःक्षेपण स्थल पर पारेषण के लिए अनुमोदित ऊर्जा के लिए आवेदक द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट दर पर पारेषण प्रभार संदेय होंगे:

संव्यवहार का प्रकार	पारेषण प्रभार (कुल रू./मेगावाट घंटों में)
(क) द्विपक्षीय, अंतः-राज्यिक	30
(ख) द्विपक्षीय, समीपवर्ती क्षेत्र के बीच	60
(ग) द्विपक्षीय, एक या अधिक मध्यवर्ती प्रदेशों के माध्यम से चक्रण	90

(2) अंतः-राज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए सामूहिक संव्यवहार की दशा में, अंतःक्षेपण के प्रत्येक स्थान या निकासी के प्रत्येक स्थान के लिए पारेषण हेतु अनुमोदित ऊर्जा के लिए 30/मेगावाट की दर पर पारेषण प्रभार संदेय होंगे ।

(3) अंतः-राज्यिक इकाईयां राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए अपने-अपने राज्य आयोग द्वारा यथा अवधारित पारेषण प्रभारों का अतिरिक्त रूप से संदाय करेंगे:

परंतु यह कि यदि राज्य आयोग, ने पारेषण प्रभार अवधारित नहीं किए हैं तो उसे निर्बाध पहुंच से इंकार करने का आधार नहीं माना जाएगा और अपने-अपने राज्य के उपयोग के लिए प्रभार 30/मेगावाट घंटे की दर पर अनुमोदित ऊर्जा के लिए संदेय होंगे:

परंतु यह और कि राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए पारेषण प्रभार को संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र को उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए कहा जाएगा:

परंतु यह और कि पारेषण प्रभारों को भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा ।

प्रचालन प्रभार

17. (1) आवेदक द्वारा अंर्तवलित प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र के लिए प्रत्येक द्विपक्षीय संव्यवहार हेतु 2000/-रूपए प्रतिदिन या दिन के भाग के लिए और अंर्तवलित प्रत्येक राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए 2000 रूपए प्रतिदिन की दर से प्रचालन प्रभार संदेय होंगे ।

(2) सामूहिक संव्यवहार की दशा में, अंर्तवलित प्रत्येक राज्य के लिए ऊर्जा एक्सचेंज द्वारा राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र को 5500 रूपए प्रति दिन की दर से तथा संव्यवहार के प्रत्येक स्थल के लिए अंर्तवलित राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए 2000/- रूपए की दर से प्रचालन प्रभार संदेय होंगे ।

(3) राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र ऐसी रीति से प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों के साथ प्रचालन प्रभारों को विभाजित करेगा जैसा केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा विनिश्चय किया जाए ।

(4) ऊर्जा एक्सचेंज द्वारा राज्य के अंतर्गत सभी विक्रेताओं को एक साथ मिलाया जाएगा तथा राज्य के भीतर सभी क्रेताओं को एक साथ मिलाया जाएगा (राज्य भार प्रेषण केंद्र के साथ आवश्यक सहयोग सहित) तथा प्रत्येक समूह की गणना प्रचालन प्रभारों के उद्ग्रहण तथा अनुसूचीकरण के लिए राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा एकल इकाई के रूप में की जाएगीः

परंतु यह कि राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए प्रचालन प्रभारों के उद्ग्रहण तथा अंतःराज्यिक पारेषण प्रभारों के उद्ग्रहण के लिए राज्य नेटवर्क में अंतःक्षेपण या निकासी के प्रत्येक स्थान की गणना पृथक् रूप से की जाएगी ।

टिप्पण-1 प्रचालन प्रभार में अनुसूचीकरण, प्रणाली प्रचालन तथा प्रभारों के संग्रहण तथा संवितरण के लिए फीस सम्मिलित है ।

टिप्पण-2 नोडल अभिकरण द्वारा एकत्रित प्रचालन प्रभार अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फीस तथा प्रभारों के अतिरिक्त होंगे ।

पारेषण प्रभारों तथा प्रचालन प्रभारों का संदाय

18. द्विपक्षीय संव्यवहार की दशा में, आवेदक आवेदन प्रदान करने के तीन (3) कार्य दिवस के भीतर नोडल अभिकरण के पास पारेषण प्रभार तथा प्रचालन प्रभार जमा करेगा तथा सामूहिक संव्यवहार की दशा में, ऊर्जा एक्सचेंज उस दिन के पश्चात् जिस दिन को उसके आवेदन पर कार्यवाही की गई थी, आने वाले उस आगामी कार्य दिवस तक इन प्रभारों को नोडल अभिकरण के पास जमा कराएगाः

परंतु यह कि सामूहिक संव्यवहारों की दशा में, राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए पारेषण प्रभारों तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए प्रचालन प्रभारों का निपटान अपने-अपने राज्य भार प्रेषण केंद्र के साथ ऊर्जा एक्सचेंज द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा ।

निर्बाध पहुंच प्रभारों के संदाय में व्यतिक्रम

19. (1) इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट आवेदन फीस या प्रभारों के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में, नोडल अभिकरण अपने विवेकानुसार, संव्यवहार की अनुसूची न करने का विनिश्चय कर सकेगा या पहले से ही अनुसूचित संव्यवहार के अनुसूचीकरण को रद्द नहीं कर सकेगा या भविष्य में ऐसे समय तक किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के किसी आवेदन पर विचार नहीं कर सकेगा जब तक व्यतिक्रम को दूर नहीं किया जाता है ।

(2) उपरोक्त बात के होते हुए, संदाय में व्यतिक्रम करने वाला व्यक्ति व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए 0.04% की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगा ।

अननुसूचित अंतर-विनिमय (यू आई) प्रभार

20. (1) इन विनियमों के अधीन नोडल अभिकरण द्वारा अनुसूचित राज्य उपयोगिताओं तथा अंतः राज्यिक इकाइयों के लिए [illegible] संव्यवहारों की गणना प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र

द्वारा जारी संवितरित प्रादेशिक इकाई की अपने अपने आगे के दिन की कुल अंतर विनिमय अनुसूची के लिए की जाएंगी ।

(2) प्रत्येक प्रादेशिक इकाई के परिसर पर मीटरिंग के आधार पर साप्ताहिक साइकल तथा संव्यवहार-वार यू आई लेखांकन पर प्रत्येक प्रादेशिक इकाई के लिए संमिश्रित यू आई खाता जारी किया जाएगा तथा अंतःराज्यिक इकाईयों के लिए यू आई लेखांकन को प्रादेशिक स्तर पर किया जाएगा ।

(3) यू आई प्रभारों के संग्रहण/संवितरण के प्रयोजन के लिए पदामिहित राज्य उपयोगिता अंतः-राज्यिक इकाइयो से/को प्रादेशिक यू आई पूल खाता के लिए राज्यों के संमिश्रित शोध्यों का समय पर संदाय करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(4) अनुसूचित तथा निकासी स्थलों पर वास्तविक निकासी और अंतःराज्यिक इकाइयों के लिए अनुसूचित तथा अंतःक्षेपण पर वास्तविक अंतःक्षेपण के बीच किसी अंतर को संबंधित राज्य प्रेषण केंद्र द्वारा अवधारित किया जाएगा तथा अंतःराज्यिक यू आई लेखांकन स्कीम में सम्मिलित किया जाएगा ।

(5) संबंधित राज्य आयोग द्वारा जब तक *अन्यथा विनिर्दिष्ट* न किया जाए, अंतःराज्यिक इकाई के लिए यू आई दर 105% (अधिक निकासी या कम उत्पादन के लिए) होगी और प्रादेशिक इकाई के परिक्षेत्र पर यू आई दर 95% (कम निकासी या अधिक उत्पादन के लिए) होगी ।

(6) अंतर-संयोजन (एकीकृत ए सी ग्रिड) में, जबकि इकाई की अनुसूची से एम डब्ल्यू परिवर्तन संपूर्ण ग्रिड से पूरा किया जाता है और स्थानीय उपयोगिता इन परिवर्तनों को आमेलित करने के लिए एकमात्र रूप उत्तरदायी नहीं होती है, राज्य उपयोगिताओं द्वारा परिवर्तनों के महत्ता के संबंध में निर्बंधन (संबंधित पारेषण या वितरण प्रणाली के अधिक दबाव के कारण के सिवाय) और इन विनियमों के अनुसार लागू प्रभारों से भिन्न प्रभार (जैसे वैकल्पिक प्रभार, ग्रिड समर्थन प्रभार, समानान्तर प्रचालन प्रभार) अंतर-राज्यिक निर्बाध पहुंच के ग्राहकों पर अधिरोपित नहीं किए जाएंगे ।

रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार

21. (1) निर्बाध पहुंच संव्यवहारों के लिए अंतर-राज्यिक स्तर पर कोई पृथक् रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार की गणना नहीं की जाएगीः

परंतु यह कि राज्य उपयोगिता ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार प्रादेशिक रिएक्टिव प्रभार खाते को राज्य के संमिश्रित देयों के समय पर संदाय के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(2) अंतःराज्यिक इकाईयों द्वारा रिएक्टिव ऊर्जा प्राप्त करने तथा अंतःक्षेपण संबंधित राज्य के भीतर लागू विनियमों द्वारा शासित होंगे ।

विशेष ऊर्जा मीटर

22. (1) विशेष ऊर्जा मीटर केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रादेशिक इकाइयों की लागत पर तथा राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा अंतःराज्यिक इकाइयों की लागत पर संस्थापित किए जाएंगे ।

(2) संस्थापित विशेष ऊर्जा मीटर ग्रिड कोड के अध्याय 6 के उपाबंध-2 के अनुसार रिएक्टिव ऊर्जा के ब्लॉक-वार चालू (एक्टिव) ऊर्जा तथा वोल्टता अंतर मापमान के लिए समय अंतर मापमान में समर्थ होंगे ।

(3) विशेष ऊर्जा मीटरों को हमेशा अच्छी हालत में रखा जाएगा ।

(4) प्रादेशिक इकाईयों के लिए विशेष ऊर्जा मीटर केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के खुले रहेंगे ।

पारेषण हानियां

23. (1) ऊर्जा विक्रेता और क्रेता संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र और राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा यथा प्राकलित पारेषण प्रणाली में औसत ऊर्जा हानियों को वहन करेंगे तथा वे विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार लागू होंगे ।

(2) ऊर्जा हानियां प्रदाय की गणना के स्थान, अंतःउपयोगिता अंतरण तथा विद्युत लेने पर अनुसूचियों के बीच अंतर देने के लिए की जाएगी ।

(3) प्रादेशिक पारेषण प्रणाली के लिए तथा राज्य नेटवर्कों के लिए उन्हें लागू पारेषण हानियां अग्रिम में धोषित की जाएंगी तथा भूतलक्षी रूप से पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा ।

ग्रिड कोड का अनुपालन

24. ऊर्जा के विक्रेता तथा क्रेता समय-समय पर प्रवृत्त ग्रिड कोड के उपबंधों का अनुपालन करेंगे ।

पारेषण प्रभारों तथा प्रचालन प्रभारों का संग्रहण तथा संवितरण

25. (1) निर्बाध पहुंच अनुज्ञात किए गए व्यक्तियों द्वारा संदेय पारेषण प्रभार तथा प्रचालन प्रभार सामूहिक संव्यवहार की दशा में, राज्य नेटवर्क के लिए पारेषण प्रभार तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए प्रचालन प्रभारों के सिवाय नोडल अभिकरण द्वारा संगृहीत और संवितरित किए जाएंगे ।

(2) इन विनियमों के अनुसार, द्विपक्षीय संव्यवहार के लिए राज्य नेटवर्क से भिन्न पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए एकत्रित पारेषण प्रभारों का उपयोग केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रतिधारित किए जाने वाले पारेषण प्रभारों का 25% अनुज्ञात करने के पश्चात् निम्नलिखित रीति से संबंधित प्रदेश के दीर्घ-कालिक ग्राहकों द्वारा संदेय मासिक पारेषण प्रभारों में कटौती के लिए किया जाएगा : -

(क) अंतःप्रादेशिक द्विपक्षीय सव्यवहार की दशा में: पारेषण प्रभारों का 75%;

(ख) समीपवर्ती प्रदेशों के बीच द्विपक्षीय संव्यवहार की दशा में: प्रत्येक प्रदेश

के लिए पारेषण प्रभारों का 37.5% और

(ग) एक या अधिक मध्यस्थ प्रदेशों के माध्यम से द्विपक्षीय संव्यवहार की दशा में : प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक आयात और निर्यात के लिए पारेषण प्रभारों का 25% तथा मध्यस्थ प्रदेशों के बीच समान रूप से आवंटित किए जाने वाले पारेषण प्रभारों का शेष 25% ।

(3) सामूहिक संव्यवहार के लिए राज्य नेटवर्क से भिन्न पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए संगृहीत पारेषण प्रभार निम्नलिखित रीति से संवितरित किए जाएंगे, अर्थात्: -

(क) अंतःक्षेपण के प्रत्येक स्थान या प्राप्त करने के प्रत्येक स्थान के लिए संदेय पारेषण प्रभारों का 25% केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा; और

(ख) अंतःक्षेपण के प्रत्येक स्थान या प्राप्त करने के प्रत्येक स्थान के लिए संदेय पारेषण प्रभारों का उपयोग 75% उस क्षेत्र के दीर्घ-कालिक ग्राहकों द्वारा संदेय पारेषण प्रभारों में कटौती के लिए किया जाएगा जिसमें, यथास्थिति, अंतःक्षेपण स्थान या प्राप्त करने का स्थान अवस्थित है ।

(4) राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए पारेषण प्रभारों को संबंधित राज्य पारेषण उपयोगिता को संवितरित किया जाएगा ।

(5) यदि राज्य उपयोगिता निर्बाध पहुंच ग्राहक है तो नोडल अभिकरण द्वारा संगृहीत किए जाने वाले प्रचालन प्रभारों तथा पारेषण प्रभारों में राज्य नेटवर्क के लिए प्रभार तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए प्रचालन प्रभार सम्मिलित नहीं होंगे ।

परितोष तंत्र

26. जब तक संबंधित राज्य के राज्य भार प्रेषण केंद्र तथा अंतःराज्यिक इकाइयां तथा राज्य आयोग की अधिकारिता के भीतर आने वाले विवाद अंतर्वलित न हो, तब तक इन विनियमों के अधीन उद्भूत सभी विवाद व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर आयोग द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे ।

सूचना प्रणाली

27. राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र तथा प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र अपनी वेबसाइट पर "निर्बाध पहुंच जानकारी" शीर्ष वाले पृथक वेब पृष्ठ पर निम्नलिखित जानकारी डालेंगेः -

(क) ये विनियम;

(ख) विस्तृत प्रक्रिया;

(ग) उस मास के अंत में; जिसमें संव्यवहार अनुसूचित किए गए हों, नोडल अभिकरण के रूप में स्वीकृत द्विपक्षीय संव्यवहारों की प्रदर्शित की जाने वाली सूची में निम्नलिखित उपदर्शित होगाः -

(i) ग्राहक का नाम;

(ii) अनुदत्त निर्बाध पहुंच की अवधि (आरंभिक तारीख तथा अंतिम तारीख);

(iii) अंतःक्षेपण बिंदु;

(iv) प्राप्त करने का स्थान;

(v) प्रयुक्त पारेषण प्रणाली (प्रदेशों तथा राज्यों के अनुसार); और

(vi) स्वीकृत अनुसूची (मेगावाट) आरंभिक समय तथा अंतिम समय के साथ ।

टिप्पण

प्रास्थिति रिपोर्ट प्रतिदिन अद्यतन की जाएगी ।

(घ) अंतर-प्रादेशिक लिंकों के उपयोग के बारे में जानकारी;

(ड.) पिछले 52 सप्ताहों के लिए औसत प्रादेशिक ऊर्जा हानियों के बारे में जानकारी;

(च) विभिन्न राज्य नेटवर्क के लिए पारेषण प्रभार तथा लागू पारेषण हानियां जो संबंधित राज्य उपयोगिताओं द्वारा बताई की गई हो; और

(छ) अनुसूचीकरण अवधि के पश्चात् एक मास तक प्रदर्शित की जाने वाली इंकार करने के कारणों के साथ नोडल अभिकरण के रूप मे प्राप्त अग्रिम अनुसूचीकरण के लिए निर्बाध पहुंच आवेदनों की सूची, जिसे स्वीकृत नहीं किया गया हो ।

व्यावृत्ति और निरसन

28. (1) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2004 के उपबंध उन निर्बाध पहुंच ग्राहकों को लागू नहीं होंगे जिनके आवेदनों पर इन विनियमों के अधीन कार्यवाही की गई है ।

(2) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2004 में यथा अंतर्विष्ट दीर्घ-कालिक ग्राहकों से संबंधित उपबंध तब तक निरंतर लागू होंगे जब तक आयोग दीर्घ-कालिक ग्राहकों से संबंधित पहलुओं के संबंध में पृथक विनियम अधिसूचित नहीं कर देता है ।

(3) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच विनियम, 2004 में यथा अंतर्विष्ट अल्पकालिक निर्बाध पहुंच से संबंधित उपबंध 1.4.2008 से निरसित किए गए समझे जाएंगे ।

रविन्दर, प्रमुख (इंजीनियरिंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./150/07]